[2018] 14 एस.सी.आर. 970

जोहरा एवं अन्य।

बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11757–11758) 03 दिसंबर, 2018

[अभय मनोहर सप्रे और इंदु मल्होत्रा, जेजे।

नैसर्गिक न्याय: सुनवाई का अवसर – ग्राम पंचायत की भूमि पर अपीलकर्ताओं के अनधिकृत अतिक्रमण का आरोप – प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दायर याचिका रिट – उच्च न्यायालय ने माना की किसी भी निजी उत्तरदाताओं को कोई नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं था, सिवाय राज्य और उसके अधिकारियों के। उस आदेश की प्रकृति पर विचार करते हुये जिसे वह रिट याचिका के निपटान के लिए पारित करना चाहते थे और अपीलकर्ताओं के अनधिकृत अतिक्रमण के संबंध में उपायुक्त के तथ्यान्वेषी जांच कर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये और पुलिस की मद्द से ग्राम पंचायत की जमीन को बहाल करने के निर्देश के साथ रिट निस्तारित की। याचिकाओं के पीडित निजी उत्तरदाताओं ने यह अपीले दायर की। कहा गया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मांग है कि ऐसी कार्यवाही के विषय के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत द्वारा कार्यवाही के पक्ष में सुना जाना चाहिए। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की विषय–वस्तु के संबंध में राज्य को कुछ अनिवार्य निर्देश जारी किए, लेकिन यह अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उत्तरदाताओं) को सुने बिना किया गया था – उक्त कारण से, विवादित आदेश को रद्द किया जाता है, पक्षकार को अपनी सभी दलीले उच्च न्यायालय के समक्ष उठाने के लिये कहा जाता है ताकि वह कानून के अनुसार निर्णय ले सके।

अपील की अनुमति दी गयी और मामले को उच्च न्यायालय,न्यायालय में पुनः सुनवाई के लिये वापस भेजा गया,

अभिनिर्धारित: कानून का मूल मौलिक सिद्धांत है कि किसी भी अदालत द्वारा किसी भी न्यायिक कार्यवाही में किसी भी पक्ष के खिलाफ ऐसी कार्यवाही के बिना और ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को किसी निश्चित विवाद के संबंध में न्यायिक कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया है, उसे आपत्ति उठाने का वैध अधिकार है कि ऐसी कार्यवाही में कोई भी आदेश पारित करने से पहले, उसे कम से कम सुना जाना चाहिए और कार्यवाही की विषय वस्तु के संबंध में उसके विचार/स्टैंड को ध्यान में रखा जाये।

970 ओएचआरए और ओआरएस. हरियाणा राज्य और अन्य।

न्यायालय ऐसे सभी व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर सुनने के लिए बाध्य है। इस मामले में, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की विषय–वस्तु के संबंध में राज्य को कुछ अनिवार्य निर्देश जारी किए, लेकिन यह अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उत्तरदाताओं) को सुने बिना किया गया था। इस कारण से आक्षेपित, आदेश निरस्त किया जाता है। यह पक्षकारो पर निर्भर करता है कि वे अपनी सभी दलीले उच्च न्यायालय के समक्ष उठाएं ताकि वह उनके अनुसार निर्णय ले सके कानून। [पैरा 8, 10, 11, 13] [972–एफ–जी; 973–ए–डी]

संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायधिकरण एआईआर 1955 एससी 425

:[1955] एससीआर 1 – केस कानून संदर्भ

[1955] एससीआर 1 पैरा 9 पर निर्भर करता था:
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 11757
2018 का 11758

।2016 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9512 में पंजाब और हरियाणा चंडीगढ के निर्णय और आदेश दिनांक 16.05.2016 और 2016 के आरए–सीडब्ल्यू–312 में 21.10.2016 के आदेश से।

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता, देवाशीष भारुका, विक्रम पुनिया, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

राकेश के. खन्ना, सीनियर एडवोकेट, कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, डॉ. अजय कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार, सुश्री श्वेता यादव, सुश्री सुनीता यादव, सुश्री अंकिता यादव, दीपक ठुकराल, सौरभ सचदेवा, डॉ. मोनिका गुसाईं, सुश्री मनप्रीत कौर भल्ला, ऋषि मल्होत्रा, उत्कर्ष सिंह, एडवोकेट प्रतिवादियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अभय मनोहर सप्रे, जे.

1. अनुमति स्वीकृत।

2. यह अपीलें चंडीगढ स्थित पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.पी. नं. 9512/2016 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 16.05.2016 के खिलाफ दायर की गई है। जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दायर रिट याचिका में उपायुक्त, सोनीपत को अनधिकृत अतिक्रमण के संबंध में तथ्यान्वेषी जांच से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्देश दिया गया तथा उक्त भूमि को ग्राम पंचायत को वापस करने का आदेश दिया गया है । उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने समीक्षा याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने सीडब्ल्यूपी संख्या 9512/2016 में 2016 के आरए–सीडब्ल्यू –312 में 21.10.2016 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (2018) 14 एस.सी.आर.

3. इन अपीलों के निपटान के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है।

4. प्रारम्भिक रुप से यह उल्लेखित किया जा सकता है कि यह विवादित नहीं था कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी सं. 8 के द्वारा प्रस्तुत की गयी रिट पिटीशन को अपीलकर्ता के विरुद्ध निस्तारित किया और राज्य के प्राधिकारियों को रिट याचिका की विषय वस्तु के सम्बन्ध में कुछ अज्ञापक निर्देश पालन करने का निर्देश दिया यह भी विवादित नहीं है कि अपीलार्थीगण को निजी उत्तरदाताओं के साथ, राज्य व उसके प्राधिकारीगण के अतिरिक्त उस आदेश की प्रकृति पर विचार करने के लिये जैसा वह रिट याचिका के निस्तारण करते समय करना चाहते थे, सम्मिलित किया गया था।

5. इस आदेश के खिलाफ, रिट याचिका के निजी प्रतिवादी संख्या 8 से 80 ने व्यथित महसूस किया है और इस न्यायालय में विशेष अनुमति के माध्यम से इन अपीलो से भाग गये है।

6. हालांकि पक्षकारों के विद्वान वकीलों ने अपने–अपने रुख के समर्थन में मामले के गुण–दोष के आधार पर लंबी दलीलें दीं, लेकिन कार्यवाही के रिकॉर्ड से उभरे स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि वर्तमान अपीलकर्ताओं को सुने बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। जबकि वह रिट याचिका में पक्षकार थे, हमारा सुविचारित विचार है कि विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

7. हम न्याय के मूलभूत सिद्धांत को दोहरा सकते हैं कि किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी न्यायिक कार्यवाही में किसी भी पक्ष के विरुद्ध उस पक्षकार को सुने बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जा सकता है ।

8. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह मांग करता है कि कार्यवाही में पक्षकार को ऐसी कार्यवाही के विषय के संबंध में कोई भी आदेश पारित करने से पहले न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए (संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण (एआईआर 1955 एससी 425) में – विवियन बोस) ।

ओहरा एवं ओआरएस। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य। [अभय मनोहर सप्रे, जे।

9. यह तथ्य कि किसी व्यक्ति को, जो किसी निश्चित विवाद के संबंध में न्यायिक कार्यवाही में एक पक्ष बनाया गया है, उसे आपत्ति उठाने का वैध अधिकार है कि ऐसी कार्यवाही में कोई भी आदेश पारित करने से पहले, उसे कम से कम सुना जाना चाहिए और कार्यवाही की विषय वस्तु के संबंध में उसके विचार को देखा जाना चाहिये। न्यायालय ऐसे सभी व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देकर सुनने के लिये बाध्य है।

10. इस मामले में, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने कार्यवाही की विषय–वस्तु के संबंध में राज्य को कुछ अनिवार्य निर्देश जारी किए ,लेकिन यह अपीलकर्ताओं (उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उत्तरदाताओं) को सुने बिना किया गया था। इसी कारण से हम विवादित आदेश को कायम रखने में असमर्थ है।

11. हमने पूरे तथ्यात्मक विवाद को सामने नहीं रखा है जिसके कारण रिट याचिका दायर की गई, न ही उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकारो द्वारा अपनाये गये रुख को सामने रखा है और न ही मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी तथ्यात्मक मुद्दे पर विचार किया है, हालांकि दोनों विद्वान परामर्शदाताओ द्वारा एक–दूसरे के विरुद्ध जोरदार बहस की गयी।

12. हमारे विचार में, यह पक्षकारों पर निर्भर है कि वे अपनी सभी दलीले उच्च न्यायालय के समक्ष उठाएं ताकि वह कानून के अनुसार निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसलिए हम किसी भी दलील पर कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे है।

13. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में अपीले स्वीकार की जाती है तदनुसार विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। इन अपीलो के अतिरिक्त रिट याचिका को उनके मूल नम्बर पर उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः स्थापित किया जाता है।

14. उच्च न्यायालय के द्वारा सभी पक्षकारों को सुनने के उपरांत कानून के अनुसार रिट याचिकाओं को निर्णित किया जाये चूंकि मामला भूमि के बडे भू–भाग से सम्बन्धित है अतः यह मामला आदेश के दिनांक से छः माह के अंदर पक्षकारों के स्थगन को स्वीकृत किये बिना निर्णित किया जावे।

देविका गुजराल का मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया।

Digitally signed by Kumar Gaurav
Date: 2023.10.31 17:16:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court